

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2025-26/
निमित्त:-

दिनांक:

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए, जयपुर, राजस्थान।

विषय:- रामगढ़ माता जी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में।
PROPOSAL NO. FP/RJ/ROAD/34310/2022(9.0600 ha.)

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर का पत्र
क्रमांक 331 दिनांक 03.04.2025 एवं उप वन संरक्षक, बारां का पत्रांक 3967 दिनांक
12.06.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक 331 दिनांक 03.04.2025 द्वारा रामगढ़ माता जी परिक्रमा-मार्ग सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की अभिशंषा/टिप्पणी निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन की गई है। जिसके क्रम में बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अंडरटैकिंग सहित प्रेषित करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट संलग्न प्रेषित है।

क्र.सं	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	बिन्दुवार शर्तों की पालना रिपोर्ट का विवरण
1	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS में जमा कराई जावे।	शर्त सं. 1 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS जमा करवा दिया जाना अवगत करवाया है। अंडर टैकिंग संलग्न प्रेषित है।
2	रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु यूजर एजेन्सी द्वारा उप वन संरक्षक के परामर्श से प्रबन्ध योजना बनाई जावेगी जिसमें सड़क के आस-पास लगाये जाने वाले पौधों की प्रजातियों तथा उनके रखरखाव इत्यादि का उल्लेख होगा।	शर्त सं. 2 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा उप वन संरक्षक से परामर्श उपरान्त प्रबन्ध योजना बनाकर सड़को के आस-पास लगाये जाने वाले पौधों की प्रजातियों तथा उनके रखरखाव इत्यादि का उल्लेख कर बोर्ड लगा दिये जाने हेतु अवगत करवाया है। अंडर टैकिंग संलग्न प्रेषित है।
3	एन.पी.वी. राशि नियमानुसार संशोधित दरों के अनुसार जमा करायी जावे।	शर्त सं. 3 की अनुपालना में यदि एन.पी.वी. राशि में वृद्धि होती है तो उपरोक्त एजेन्सी द्वारा नियमानुसार संशोधित दर राशि जमा करवाये हेतु अवगत करवाया है।

Signature valid

Digitally signed by Sonal Jouriha
Designation: Conservator Of Forest
Date: 2025.06.26 17:00:45 IST
Reason: Approved



4	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रेस्क्यू सेन्टर बनाया जावे।	शर्त सं. 4 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रेस्क्यू सेन्टर बना दिया जायेगा अंडर टैकिंग संलग्न प्रेषित है।
5	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में चार वाटर हाल बनाये जावें।	शर्त सं. 5 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में चार वाटर हाल बना दिये जायेंगे। अंडर टैकिंग संलग्न प्रेषित है।
6	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगाये जावें।	शर्त सं. 6 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगा दिये जायेंगे। अंडर टैकिंग संलग्न प्रेषित है।
7	रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कराये जावें।	शर्त सं. 7 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा राज्य वन विभाग के परामर्श से परियोजना लागत पर आवश्यकता होने पर व्यापक मृदा संरक्षण एवं जल संरक्षण का उपाय करेगी इस योजना चरण की अनुपालन रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत कर दी जायेगी। अंडर टैकिंग संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(सोनल जौरिहार)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

दिनांक:

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2025-26/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज्य सरकार
2. उप वन संरक्षक, बारां।

Signature valid

Digitally signed by Sonal Jourihar
Designation: Conservator Of Forest
Date: 2025.06.26 17:00:45 IST
Reason: Approved

कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारा

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2024 -25/ 3967

दिनांक 12/06/2025

निमित्त:

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- रामगढ़ माता जी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में
Proposal no.FP/RJ/ROAD/34310/2022 (9.0600 ha)

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक 331 दिनांक 03.04.2025 के कम में एवं आपका पत्र क्रमांक 2693 दिनांक 15.04.

2025

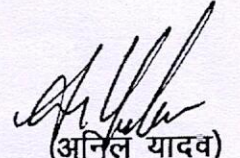
के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक 331 दिनांक 03.04.2025 द्वारा रामगढ़ माता जी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की अभिशंषा/टिप्पणी निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन की गई है। जिसके कम में यूजर एजेन्सी द्वारा सभी शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अंडरटैकिंग सहित प्रेषित करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट संलग्न प्रेषित है।

क्र. सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	बिन्दुवार शर्तों की पालना रिपोर्ट का विवरण
1	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS में जमा कराई जावे।	शर्त सं. 1 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS जमा करा दी जावेगी।
2	रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु यूजर एजेन्सी द्वारा उप वन संरक्षक के परामर्श से प्रबन्ध योजना बनाई जावेगी जिसमें सड़क के आस-पास लगाये जाने वाले पौधों की प्रजातियों तथा उनके रखरखाव इत्यादि का उल्लेख होगा।	शर्त सं. 2 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा उप वन संरक्षक से परामर्श उपरान्त प्रबन्ध योजना बनाकर सड़क के आस-पास लगाये जाने वाले पौधों की प्रजातियों तथा उनके रखरखाव इत्यादि का उल्लेख कर बोर्ड लगा दिये जायेंगे।
3	एन.पी.वी. राशि नियमानुसार संशोधित दरों के अनुसार जमा करायी जावे।	शर्त सं. 3 की अनुपालना में यदि एन.पी.वी. राशि में वृद्धि होती है तो उपयोक्ता एजेन्सी द्वारा नियमानुसार संशोधित दर राशि जमा करा दी जायेगी।
4	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रेस्क्यू सेन्टर बनाया जावे।	शर्त सं. 4 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रेस्क्यू सेन्टर बना दिया जायेगा।
5	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में चार वाटर हाल बनाये जायें।	शर्त सं. 5 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में

	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कन्जर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगाये जावें।	चार वाटर हाल बना दिये जायेंगे। शर्त सं. 6 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कन्जर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगा दिये जायेंगे।
7	रामगढ़ कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कराये जावें।	शर्त सं. 7 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा राज्य वन विभाग के परामर्श से परियोजना लागत पर आवश्यकता होने पर व्यापक मृदा संरक्षण एवं जल संरक्षण का उपाय करेगी इस योजना चरण की अनुपालन रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

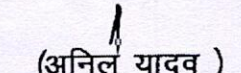

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 20223 -24 /

दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राज 0 जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज 0 जयपुर।
3. अधिशापी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।


(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहवाड़

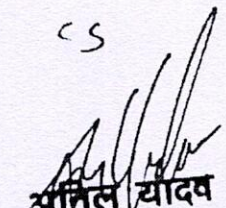
क्रमांक : 337

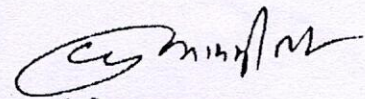
दिनांक : 02-06-2025

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- CONSTRUCTION AND WIDENING OF RAMGARH MATAJI
PARIKRMA ROAD
(FP/RJ/ROAD/34310/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2: RPACS जमा करा दी जावेगी।

CS

अनिल यादव
उप वन संरक्षक
भरौ


(हरि प्रसाद मीश्रा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहवाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

क्रमांक : 337

दिनांक : 02-06-2025

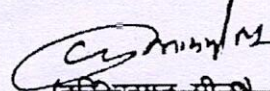
अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- CONSTRUCTION AND WIDENING OF RAMGARH MATA JI
PARIKRMA ROAD
(FP/RJ/ROAD/34310/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेंसी द्वारा उप वन संरक्षक से परामर्श उपरान्त प्रदत्त योजना बनाकर सड़क के आस-पास लगाये जाने वाले पौधों की प्रजातियों तथा उनके रखरखाव ईत्यादि का उल्लेख कर बोर्ड लगा दिये जायेंगे।

CS

अनिल यादव
उप वन संरक्षक
बारी


K. S. Prasad
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

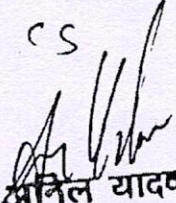
क्रमांक : 237

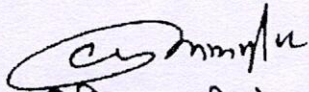
दिनांक : 02-06-2025

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- CONSTRUCTION AND WIDENING OF RAMGARH MATA JI
PARIKRMA ROAD
(FP/RJ/ROAD/34310/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में यदि एन.पी.वी. राशि में वृद्धि होती है तो उपयोक्ता एजेन्सी द्वारा नियमानुसार संशोधित दर राशि जमा करा दी जायेगी।

CS

अनिल यादव
उप वन संरक्षक
कारों


हरि प्रसाद मीश्रा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहवाद्

क्रमांक : 337

दिनांक : 02-06-2025

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- CONSTRUCTION AND WIDENING OF RAMGARH MATA JJ
PARIKRMA ROAD
(FP/RJ/ROAD/34310/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रेस्क्यू सेन्टर बना दिया जायेगा।

CS
[Signature]
उप वन संरक्षण
कार्य

[Signature]
(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहवाद्

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

क्रमांक : 337

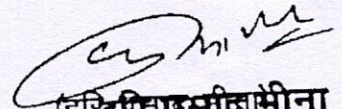
दिनांक : 02-06-2025

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- CONSTRUCTION AND WIDENING OF RAMGARH MATA Ji
PARIKRMA ROAD
(FP/RJ/ROAD/34310/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में चार वाटर हाल बना दिये जायेंगे।

CS
अनिल यादव
उप वन संरक्षक
बारा


(हरिप्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

क्रमांक : 337

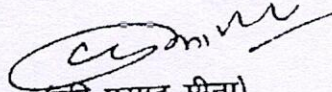
दिनांक : 02-06-2025

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- CONSTRUCTION AND WIDENING OF RAMGARH MATAJI
PARIKRMA ROAD
(FP/RJ/ROAD/34310/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कन्जर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगा दिये जायेंगे।

CS
अमित यादव
उप वन संरक्षक
बारी


हरि प्रसाद सिन्हा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाही अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

क्रमांक 337

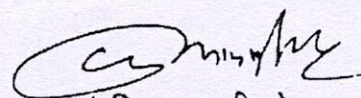
दिनांक : 02-06-2025

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- CONSTRUCTION AND WIDENING OF RAMGARH MATA JI
PARIKRMA ROAD
(FP/RJ/ROAD/34310/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा राज्य वन विभाग के परामर्श से परियोजना लागत पर आवश्यकता होने पर व्यापक मृदा संरक्षण एवं जल संरक्षण का उपाय करेगी इस योजना चरण की अनुपालन रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

CS
अमित यादव
उप वन संरक्षक
वारी


(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाही अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद